।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1228 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, 07/04/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः– Date and Stage of application of the revised rates of Net Present Value (NPV) reg.

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 1833/1जी–5066(गा0रा0 दिशा निर्देश) दिनांक 21.01.2022.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणो में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है पत्र में उल्लिखित बिन्दु के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06.01.2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की चुकी है तथा दिनांक 06.01.2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरो के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। आपके विभाग के अन्तर्गत दो प्रकरण है जिसमे वर्ष 2016 में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी, परन्तु उसमें विधिवत स्वीकृति आतिथि तक भी अप्राप्त है। एक प्रकरण में अवशेष धनराशि जमा करने हेतु आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। जिसका एन0पी0वी0 की धनराशि का अवशेष भुगतान किया जाना है जो निम्नानुसार हैः–

प्रस्ताव का नाम	पूर्व में एन0पी0वी की जमा धनराशि(रू में)	एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0वी0पी0 की दर (रू0 प्रति है0 में)	हस्तान्तरित वन भूमि (है0 में)	06.01.2022 की दरो के अनुसार जमा की जानी वाली धनराशि (रू0 में) कॉलम सं0(3 x 4) के अनुसार	अवशेष जमा की जानी वाली धनराशि (रू0 में) कॉलम सं0(5–2)के अनुसार
1	2	3	4	5	6
कुश से कुशमहादेव मोटर मार्ग के किमी0 13 से परखाल केदारकोट	1151721.00	1005210.00	1.753	1762133.13	**610412.13** या देय धनराशि रू0 610412.00

अतः विषयांकित प्रकरण में उपरोक्त टेबिल के कॉलम सं0 6 में अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि रू0 610412.00(रू0 छः लाख दस हजार चार सौ बारह) मात्र की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे, ताकि सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून को प्रेषित की जा सके।

" ऑनलाईन चालान जनरेट करने हेतु पुराने चालान को Cancel कर नये डिमाण्ड नोट की धनराशि अंकित करते हुए मांग पत्र ऑनलाईन अपलोड करने के पश्चात् नोडल अधिकारी हेतु Verifiation बटन को क्लिक करने पर नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी कार्यालय हेतु वैरिफिकेशन हेतु जायेगा, वैरिफिकेशन होने पर चालान जनरेट होगा।"

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।